प्रेस विज्ञप्ति

08.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माननीय सीबीआई कोर्ट-II, एर्नाकुलम के समक्ष मैसर्स हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 2/2/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धाराओं के तहत धन शोधन के अपराध के लिए मैसर्स हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचसीसीपीएल), इसके तत्कालीन एमडी और मैसर्स हीरा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ए अब्दुल रशीद और मैसर्स एचसीसीपीएल के अन्य पूर्व निदेशकों सुबिन अब्दुल रशीद पुत्र-ए अब्दुल रशीद, श्रीमती सुनीता बेगम पत्नी-ए अब्दुल रशीद और मैसर्स हीरा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के विरुद्ध आरोप लगाए हैं।

ईडी ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (अब एसबीआई) में बैंक धोखाधड़ी के लिए मैसर्स हीरा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के विरुद्ध आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, कोचीन की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स एचसीसीपीएल ने तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (अब भारतीय स्टेट बैंक में विलय), कौडियार शाखा से 15 करोड़ रुपए का परियोजना आधारित ऋण लिया था। हालाँकि, मैसर्स एचसीसीपीएल निर्धारित समय-सीमा में ऋण राशि चुकाने में विफल रही। यह भी पता चला कि बैंक के पास संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों को भी बैंक की पूर्व अनुमति या सहमति के बिना ही बेच दिया गया।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि ऋण राशि को एक आवासीय परियोजना में निवेश किया गया और फ्लैटों की बिक्री से एकत्र की गई राशि को बैंक ऋण चुकाए बिना आरोपितों की अन्य संपत्तियों और हीरा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में भेज दिया गया। आरोपियों ने इस तरह 34.82 करोड़ रुपए की अपराध जनित आय अर्जित की थी।

इससे पहले ईडी ने अपराध से प्राप्त आय के रूप में आरोपियों की 30.28 करोड़ रुपए की संपत्तियों की पहचान की है और उन्हें जब्त किया है। इसके अलावा, मैसर्स एचसीसीपीएल के तत्कालीन एमडी ए अब्दुल रशीद को 04/12/2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।